



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-379/1/सा.प्र.वि./2025/964

भिलाई, दिनांक 22/7/25

//आदेश//

श्री उमेश कुमार निर्मलकर पिता श्री साहेब लाल निर्मलकर, पम्प सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 24.08.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2025 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 22/7/25

पृ.क्र./एफ-379/1/सा.प्र.वि./2025/965

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 01, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक पेंशन/भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
12. श्री उमेश कुमार निर्मलकर पिता श्री साहेब लाल निर्मलकर, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई